न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

मिसल न0– 02 / 2017

अनवान :–

1. शंकरलाल पुत्र हरिराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
2. देवीलाल पुत्र माडूराम जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।

सायलान

बनाम्

1. रमेश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति मेधवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सत्यनारायण पुत्र ब्रद्रीप्रसार जाति मेधवाल निवासी बरवाली तहसील नोहर।
3. रामकुमार पुत्र श्योजीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र श्योजीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. ओमप्रकाश पुत्र श्योजीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. सन्तलाल पुत्र रणजीत जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. सतवीर पुत्र रणजीत जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. पूर्णराम पुत्र निकूराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. रामजीलाल पुत्र निकुराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
10. धर्मपाल पुत्र निकू जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
11. जगदीश पुत्र निकू जाति धाणक निवासी बरवली तहसील नोहर।
12. प्रभू पुत्र निकू जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
13. कृष्ण पुत्र मुन्शीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
14. सुभाष पुत्र मुन्शीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
15. बनवारी पुत्र मुन्शीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
16. श्योपत पुत्र मुन्शीराम जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
17. बीरूराम उर्फ विरसिह पुत्र बिरबल जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।
18. धोलूराम पुत्र हसंराम पुत्र बिरबल जाति धाणक निवासी बरवाली तहसील नोहर।

असल गैरसायल

19. रामकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
20. दीपचंद पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
21. लिछमाण पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
22. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
23. हरिसिह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
24. सोहनलाल पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
25. पृथ्वीसिह पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
26. शिशपाल पुत्र मूलचंद जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
27. राजेन्द्र पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
28. रामप्रताप पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
29. रामेश्वर पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
30. मनीराम पुत्र माडूराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।

तरतीबी गैरसायलान

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0 काश्तकारी अधि[illegible] सन् 1955

उपस्थित :– श्री रविन्द्र गोदारा, अभिभाषक सायलान
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गेरसायल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांक : 16/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायल व गैरसायलान गांव बरवाली के निवासी है सायल व तरतीबी गैरसायलान कि कृषि भूमि चक 13 एनटीआर मैं स्थित है तथा गैरसायलान न0 1 ता 18 की कृषि भूमि चक 7 बारानी के खाता संख्या 180/189 में स्थित है गैरसायलान की कृषि भूमि के चिपते हुए पूर्व की तरफ गांव की आबादी है तथा चक 7 बारानी व चक 13 एनटीआर दोनो चकों की सीमा लगती है गांव की मुख्य आबादी से होकर चक 7 बारानी के प0न0 380/417 व 381/417 से होकर मुख्य रास्ता जो गावं की आबादी तथा चक 13 एनटीआर में जाता है यह रास्ता गांव आबाद होने के समय से लगातार आज तक स्थाई रूप से चला आ रहा है इसके चक 13 एनटीआर व चक 7 बारानी के सैकडों लोग आवागमन करते आ रहे है इसके अलावा दुसरा कोई भी रास्ता नही है लेकिन गैरसायलान के कुछ प्रभावशाली लोगो के बहकावे में आकर प0न0 381/417 (365) के किला न0 5 में बन्धा लगाकर तथा रास्ता की जगह मकान बनाकर जबरिया इस रास्तें को बन्द करने की घमकी देते है क्योकि उक्त रास्ता मंजूर शुद्वा रास्ता प0न0 381/417(365) के किला न0 5 जो आबादी से चिपता है लेकिन आबादी में से आने वाला रास्ता किला न0 5 में से होकर मंजूर शुद्वा रास्ते से मिलता है जो आज भी चालू है तथा स्थाई रूप से आवागमन हो रहा है लेकिन किला न0 5 में गैरसायलान में अस्थाई मकान बनाकर तथा रास्ता किला न0 25 में छोड दिया किला न0 25 में रास्ता मंजूर नही होने से गेरसायलान उक्त रास्तें को बंद करने की घमकी देते हे यदि ऐसा हो गया तो गावं में लडाई झगडा बढेगा तथा काश्तकारों अपने खेतों में आवागमन नही कर सकेग तथा फसले नष्ट हो जायेगी इसलिये उक्त खाता संख्या 180/189 के प0न0 381/416(347) के किला न0 25 में दक्षिणी दिशा में से होकर किला न0 5 में जाने तक चालू रास्तें को गै0मु0 किया जकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

सायलान व गांव के मुख्य लोगो के द्वारा ने कई बार समझाईश भी की लेकिन वह पहले तो आज कल आज कल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

रास्ता हमेशा से ही गांव की आबादी से होकर गैरसायलान के प0न0 381/417(365) के किला न0 5 में प्रवेश करते थे लेकिन गैरसायलान ने बिना पैमाईश करवाये किला न0 5 में अस्थाई निर्माण कर लिया है तथा सहमती से इसके चिपते हुए किला न0 25 में रास्ता छोड दिया जो आज भी मौका पर चालू है लेकिन अब इनके मन में बेइमानी आ गई और किला न0 [illegible] यह कह कर की रास्ता मंजूर नही है रास्ता को बन्द करने की [illegible] सायलान के खाते में किला न0 5 पर किये गये अवैध निर्माण को तुरन्त हटाया जाये और प0न0 381/417(347) के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

किला न0 25 में से होकर सदामत से चालू रास्ते को रिकार्ड में दर्ज किया जावे ताकि आवागमन में बाधा नही हो

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क पेश कर निवेदन है कि चक 7 बारानी के खाता संख्या 180/189 में प0न0 381/416(347) के किला न0 25 में दक्षिण की तरफ चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर असल गेरसायलान को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया गेरसायल संख्या 1 ता 12 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायल संख्या 13 ता 16 जरिये अधिवक्ता नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित आये किन्तु सायलान के प्रार्थना पत्र के सम्बध में किसी प्रकार का जबाब पेश नही किया गया गैरसायल संख्या 17 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रार्थना पत्र में सायल एवं तरतीबी गैरसायलान के नाम दर्ज भूमि का विवरण अकित नही किया गया है अप्रार्थी ने कभी भी किला न0 5 में रास्ता अवरूद्व नही किया गया है ना ही मकान आदि का निर्माण किया गया है अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 बारानी के खाता संख्या 213/180 में कुल 6.5780है भूमि है जिसमें निकु पुत्र लालु का 1/4 हिस्सा , बिरबल पुत्र रामचन्द का 4111/32890 हिस्सा मुन्शीराम पुत्र रामचन्द का 8223/65780 हिस्सा , रमेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद का 1/10 हिस्सा , रामकुमार पुत्र श्योजी का 1/20 हिस्सा , सत्यनारायण पुत्र बद्रीप्रसाद का 1/10 हिस्सा , सतवीर पुत्र रणजीत का 4111/32890 हिस्सा सन्तलाल पुत्र रणजीत का 8223/65780 हिस्सा मुश्तरका खातें में दर्ज है

उतरादाता के खेत में कभी भी चालू रास्ता नही रहा है प्रार्थना पत्र केवल उतरादाता को परेशान करने के लिय पेश किया गया है किला न0 25 में कभी भी आवागमन नही रहा है प0न0 381/417(365) किला न0 1/2 ,1/2 व 3/2 ,4/2 व 5/2 मे राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है एवं अप्रार्थी द्वारा प0न0 381/417(365) किला न0 5 में बिना पैमाईश किसी तरह का निर्माण नही किया गया है तथा किला न0 5 में न ही अप्रार्थी द्वारा रास्ता बन्द किया गया है किला न0 25 में सहमति से से रास्ता नही छोडा गया है ना ही किला न0 25 में मौके पर रास्ता है किला न0 25 में अप्रार्थी का कमरा बना हुआ है तथा कमरे के आगे कुण्ड बना हुआ है जिसको बने हुए काफी समय हो गया है किला न0 25 में पक्का खाला बना हुआ है।

सायलान ने प्रार्थना पत्र झुठ एव मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है प्रार्थना पत्र में मृतक नि[illegible] वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नही किया गया है कि सायलान ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है [illegible] सायलान का खेत अप्रार्थी के खेत से काफी दुरी पर है तथा किला न0 25 में कभी भी अप्रार्थी द्वारा रास्ता नही छोडा गया है तथा किला न0 25 में दक्षिण – पूर्वी कोने पर कमरा ,व कमरे के आगे कुण्ड का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested

..3

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्माण किया हुआ है व किला न0 25 में खाला बना हुआ है प्रार्थना पत्र 251 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने के कारण एव मनगढत तथ्यों के आधार पर होने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायल संख्या 17 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया गया मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायलान कि कृषि भूमि चक 13 एनटीआर में स्थित है तथा गैरसायलान न0 1 ता 18 की कृषि भूमि चक 7 बारानी के खाता संख्या 180/189 में स्थित है गैरसायलान की कृषि भूमि के चिपते हुए पूर्व की तरफ गांव की आबादी है तथा चक 7 बारानी व चक 13 एनटीआर दोनो चकों की सीमा लगती है गांव की मुख्य आबादी से होकर चक 7 बारानी के प0न0 380/417 व 381/417 से होकर मुख्य रास्ता जो गावं की आबादी तथा चक 13 एनटीआर में जाता है यह रास्ता गांव आबाद होने के समय से लगातार आज तक स्थाई रूप से चला आ रहा है इसके चक 13 एनटीआर व चक 7 बारानी के सैकडों लोग आवागमन करते आ रहे है इसके अलावा दुसरा कोई भी रास्ता नही है लेकिन गैरसायलान के कुछ प्रभावशाली लोगो के बहकावे में आकर प0न0 381/417 (365) के किला न0 5 में बन्धा लगाकर तथा रास्ता की जगह मकान बनाकर जबरिया इस रास्तें को बन्द करने की घमकी देते है क्योकि उक्त रास्ता मंजूर शुद्वा रास्ता प0न0 381/417(365) के किला न0 5 जो आबादी से चिपता है लेकिन आबादी में से आने वाला रास्ता किला न0 5 में से होकर मंजूर शुद्वा रास्ते से मिलता है जो आज भी चालू है तथा स्थाई रूप से आवागमन हो रहा है लेकिन किला न0 5 में गैरसायलान में अस्थाई मकान बनाकर तथा रास्ता किला न0 25 में छोड दिया किला न0 25 में रास्ता मंजूर नही होने से गेरसायलान उक्त रास्तें को बंद करने की घमकी देते हे यदि ऐसा हो गया तो गावं में लडाई झगडा बढेगा तथा काश्तकारों अपने खेतों में आवागमन नही कर सकेग तथा फसले नष्ट हो जायेगी इसलिये उक्त खाता संख्या 180/189 के प0न0 381/416(347) के किला न0 25 में दक्षिणी दिशा में से होकर किला न0 5 में जाने तक चालू रास्तें को गै0मु0 किया जकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क पेश कर निवेदन है कि चक 7 बारानी के खाता संख्या 180/189 में प0न0 381/416(347) के किला न0 25 में दक्षिण की तरफ चालू रास्ता को स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 17 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थना पत्र में सायल एवं तरतीबी गैरसायलान के नाम दर्ज भूमि का विवरण अंकित नही किया गया है अप्रार्थी ने कभी भी किला न0 5 में रास्ता अवरूद्व नही किया गया है ना ही मकान आदि का निर्माण

उपखण्ड अधिकारी

किया गया है अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 7 बारानी के खाता संख्या 213/180 में कुल 6.5780है भूमि है जिसमें निकु पुत्र लालु का 1/4 हिस्सा , बिरबल पुत्र रामचन्द का 4111/32890 हिस्सा मुन्शीराम पुत्र रामचन्द का 8223/65780 हिस्सा , रमेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद का 1/10 हिस्सा , रामकुमार पुत्र श्योजी का 1/20 हिस्सा , सत्यनारायण पुत्र बद्रीप्रसाद का 1/10 हिस्सा , सतवीर पुत्र रणजीत का 4111/32890 हिस्सा सन्तलाल पुत्र रणजीत का 8223/65780 हिस्सा मुश्तरका खातें में दर्ज है

उतरादाता के खेत में कभी भी चालू रास्ता नही रहा है प्रार्थना पत्र केवल उतरादाता को परेशान करने के लिय पेश किया गया है किला न0 25 में कभी भी आवागमन नही रहा है प0न0 381/417(365) किला न0 1/2 ,1/2 व 3/2 ,4/2 व 5/2 मे राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है एवं अप्रार्थी द्वारा प0न0 381/417(365) किला न0 5 में बिना पैमाईश किसी तरह का निर्माण नही किया गया है तथा किला न0 5 में न ही अप्रार्थी द्वारा रास्ता बन्द किया गया है किला न0 25 में सहमति से से रास्ता नही छोडा गया है ना ही किला न0 25 में मौके पर रास्ता है किला न0 25 में अप्रार्थी का कमरा बना हुआ है तथा कमरे के आगे कुण्ड बना हुआ है जिसको बने हुए काफी समय हो गया है किला न0 25 में पक्का खाला बना हुआ है।

सायलान ने प्रार्थना पत्र झुठ एव मनगढत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है प्रार्थना पत्र में मृतक निकु एव बीबरल के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है प्रार्थना पत्र में कही भी अंकित नही किया गया है कि सायलान ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है क्योकि सायलान का खेत अप्रार्थी के खेत से काफी दुरी पर है तथा किला न0 25 में कभी भी अप्रार्थी द्वारा रास्ता नही छोडा गया है तथा किला न0 25 में दक्षिण – पूर्वी कोने पर कमरा ,व कमरे के आगे कुण्ड का निर्माण किया हुआ है व किला न0 25 में खाला बना हुआ है प्रार्थना पत्र 251 के प्रावधानों के अनुरूप नही होने के कारण एव मनगढत तथ्यों के आधार पर होने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार
सायलान का कथन है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 180/189 के प0न0 381/416(347) किला न0 25 में दक्षिण की तरफ चालू रास्ता को स्वीकृत किया जावे

सायल ने प्रार्थना पत्र 251 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रास्ता की मांग की गई है सायलान ने अपने [illegible] दारी भूमि होने का किसी प्रकार का अंकन नही किया गया है ना ही [illegible] किया गया है उनकी भूमि जहॉ से रास्ता चाहा जा रहा है उसमें किस [illegible] है जो धारा 251 क के प्रावधान के अनुरूप नही है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

धारा 251 के प्रावधान के अनुसार जिस काश्तकार के द्वारा रास्ता चाहा जा रहा है वह अपने प्रार्थना पत्र में अपनी भूमि का पूर्ण विवरण अंकित करेगा तत्पश्चात वह उस भूमि का विवरण पेश करेगा जिससे वह रास्ता चाहा जा रहा है एवं चाहे जाने वाले रास्ता का अपनी भूमि तक आने वाले रास्ते का विवरण अंकित करेगा एवं उसी अनुरूप नजरीय नक्शा तैयार किया जाकर प्रस्तुत करेगा ताकि न्यायालय सुनवाई उपरान्त यह तय कर सके की काश्तकार के द्वारा चाहा गया रास्ता दिये जाने योग्य है अथवा नही ।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में मांत्र चाहे जाने वाले रास्ता का अंकन किया गया किन्तु अपनी भूमि का विवरण अंकित नही किया गया है ना ही प्रश्नगत रास्ते तक पहुचान का कोई नजरीय नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिससे सायलान को उनके द्वारा चाहे जा रहे रास्ते की आवश्यकता है अथवा नही का विश्लेषण नही किया जा सकता है जब सायलान के प्रार्थना पत्र का विश्लेषण नही होगा तो न्यायालय किस आधार पर रास्ता स्वीकृत करेगी।

गैरसायल संख्या 17 ने अपने जबाब में आक्षेप किया गया था कि सायलान ने निकु एवं बिरबल के समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है जिसका भी कोई सन्तोषजनक जबाब व्यक्त नही किया गया है।

सायलान का कथन है कि यदि उक्त रास्ता स्वीकृत नही होता है तो सायलान फसल काश्त करने से वंचित हो जावेगे सायलान ने यह प्रार्थना पत्र वर्ष 2017 में प्रस्तुत किया गया था क्या सायलान ने इतने वर्षो तक फसल काश्त करने हेतु अपने खेत में नही गये थे विचारणीय बिन्दु है यदि गये तो किस रास्ते से अर्थात सायलान को अपने खेत में जाने के लिये रास्ता उपलब्ध है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया गया है कि किला न0 25 में सदामत से रास्ता चालू था केवल राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही था सायलान से सदामत से चालू होने के सम्बध में किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया है मात्र कथन है इसके विपरित गैरसायल संख्या 17 का कथन है की किला न0 25 उसकी खातेदारी भूमि है जिसमें उसका कमरा निर्माण किया हुआ है एव कमरे के आगे कुण्ड का निर्माण किया हुआ है जो काफी पुराना है गैरसायल के कथनों की पुष्टि मौका रिपोर्ट से भी होती है।

धारा 251 क के प्रावधानों के अनुसार चाहा गया रास्ता सायल के खेत को नही जोडता है तो किसी एक मुरब्बा या किला न0 में रास्ते की मांग का कोई ओचित्य नही रह जाता है।

सायलान के प्रार्थना [illegible] उपलब्ध समस्त दस्तावेजात चक 7 बारानी के किला न0 5 से [illegible] सायलान ने यह प्रस्तुत नही किया की उसकी भूमि किस [illegible] में है एवं उसे किला न0 5 में से रास्तें की आवश्यकता किस प्रकार से है ज[illegible]क सायलान के द्वारा चाहे जाने वाले रास्ता का औचित्य ही प्रस्तुत नही किया जाता है एवं चाहे जाने वाले रास्तें का पूर्ण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested

..6

उपखण्ड अधिकारी

विवरण यथा जमाबन्दी /नजरीय नक्शा जिसमें सायलान एवं चाहे जाने वाले रास्तें से सम्बध अंकित हो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि न्यायालय प्रस्तुत दस्तावेजात का सत्यापन जांच उपरान्त तय कर सके की सायलान के द्वारा चाहे जाने वाले रास्ता उचित है अथवा अनुचित ।

हस्तगत प्रकरण में सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में मात्र यह अंकित किया गया है कि गैरसायल ने चालू रास्ता को बन्द कर करना चाहता है जिससे गांव आवागमन करता है इसलिये रास्ता स्वीकृत किया जावे अपने प्रार्थना पत्र के सम्बध में अपने कथनों की पृष्टि हेतु किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार सायलान की चक 7 बारानी में भूमि होनी नही पाई जाती है सायलान अन्य चक के काश्तकार होना प्रतीत होते है सायलान ने किस प्रकार प्रश्नगत रास्ते की आवश्यकता है का भी उल्लेख नही किया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सायलान का प्रार्थना पत्र 251 क के प्रावधानों के अनुरूप नही होने एवं सायलान का प्रार्थना पत्र असपष्ट एवं अपूर्ण व अपूर्ण दस्तावेजात /नक्शा के अभाव में स्वीकार योग्य नही है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र धारा 251क के प्रावधानों के अनुरूप नही होने एवं अपूर्ण एवं स्पष्ट नही होने एव साक्ष्य सबुतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.22 19:19:22 IST
Reason: SelfAttested